न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 33/2024 नरेश कुमार व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य पत्रावली पेश हुई। श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध पेश किया गया है। वर्तमान में सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई जिला दौसा के पद पर श्री रामसिंह राजावत पदस्थापित नहीं है। श्री रामसिंह राजावत उप जिला कलक्टर बांदीकुई के पद पर पदस्थापित है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा भी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष के उक्त कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री रामसिंह राजावत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में श्री रामसिंह राजावत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई के पद पर पदस्थापित नहीं है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण संख्या 122/2017 दर्ज संख्या 29/2022 महेन्द्र कुमार बनाम सिंगारी देवी दावा स्थायी निषेधाज्ञा तकास्मा बाबत को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण नरेश कुमार, वीरेश पुत्रान बाबूलाल, राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति बैरवा निवासी श्यालावास कलां वार्ड नम्बर 4 बांदीकुई तहसील दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी नरेश कुमार व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:10:02 IST Reason: Self Attested (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official